भ्रष्टाचार विरोधियों पर ही उठाने लगी उंगुलियां

नई दिल्ली: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त जन लोकपाल विधेयक की मांग कर रही टीम अन्ना के सदस्यों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' मुहिम की साख पर दाग लगा रहे हैं। टीम अन्ना की महत्वपूर्ण सदस्य किरण बेदी जोकि सामान्य श्रेणी की विमान यात्रा के लिए बिजनेस श्रेणी का किराया वसूलने के आरोपों से ही अभी जूझ रहीं थीं वह एक और विवाद में घिर गयी हैं। किरण बेदी पर आरोप है कि उन्होंने अपने गैर सरकारी संगठन के बैनर तले पुलिस और सशस्त्र बलों को मुफ्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण के नाम पर लूटा है। अदालत के निर्देश पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद अब सवाल यह उठता है कि किस मुंह से टीम अन्ना की बैठकों अथवा जन सभाओं में किरण बेदी सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगी? जब वह रामलीला मैदान के मंच से सांसदों, मंत्रियों को भ्रष्टाचारी बता रही थीं तब क्या उनके जेहन में अपने गैर सरकारी संगठनों की ओर से की जा रही कथित अनियमितताओं का ख्याल नहीं आया? क्या यही सब कारण तो नहीं कि लोकपाल के दायरे में एनजीओ को लाने का टीम अन्ना की ओर से विरोध किया जा रहा था?

यह आश्चर्यजनक नहीं लगा कि अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद किरण बेदी ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया जताते हुए सिर्फ यही कहा कि यह सब मेरी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। जब किरण पर अधिक विमान किराया वसूलने के आरोप लगे थे तब भी उन्होंने शांत स्वभाव के साथ सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी उनकी तेज और धारदार वाणी तभी सुनने को मिलती है जब भ्रष्टाचार के आरोप किसी और पर लगे हों। संभव है कि बेदी इस बार भी पुराना बयान दोहरा दें कि उन्होंने जो अतिरिक्त पैसा प्राप्त किया उसे समाज कल्याण में लगाया। लेकिन इस तरीके को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसे सिर्फ धोखाधड़ी ही कहा जायेगा।

अदालत के निर्देश पर उनके खिलाफ दर्ज किये गये मामले को देखते हुए नैतिकता का तकाजा बनता है कि वह टीम अन्ना से या तो खुद ही हट जाएं या फिर हजारे को उन्हें तब तक के लिए हटा देना चाहिए जब तक कि वह आरोपों से बरी नहीं हो जातीं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पवित्रता और साख बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी है लेकिन यहां सवाल यह भी है कि जो हजारे कथित रूप से किरण बेदी, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल के दबाव में निर्णय लेने को मजबूर बताए जाते हैं वह क्या किरण को हटाने का साहस कर पाएंगे। गौरतलब है कि कश्मीर संबंधी विवादित बयान के बाद उन्होंने प्रशांत भूषण को टीम से हटाने का कथित प्रयास किया था लेकिन उनकी नहीं चलने दी गयी।

किरण बेदी इस बार सरकारी पक्ष अथवा कांग्रेस पर भी अपने को बदनाम करने का कोई आरोप नहीं लगा सकतीं क्योंकि इस बार का मामला ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत लेकर पुलिस थाने गया हो और मामला दर्ज कराया हो बल्कि अदालत ने शिकायत पर गौर करते हुए पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। किरण बेदी पर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं उससे निश्चित रूप से उनकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्हें ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा लेकिन जो भी प्रकरण सामने आये हैं उससे लोग खुद आश्चर्यचकित हैं। इससे उन आरोपों को भी बल मिलता है कि बेदी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वह हजारे के आंदोलन से जुड़ कर अपना आधार बनाना चाहती थीं। गौरतलब है कि हिसार संसदीय उपचुनाव में कांग्रेस विरोध का निर्णय बेदी और केजरीवाल के दिमाग की ही उपज बतायी जाती है।

जो शख्स विभिन्न घोटालों पर सरकार को घेरता और कोसता फिरे यदि वह अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि का बेजा फायदा उठाए तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा। बेदी पर आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के बच्चों एवं परिजनों को अपने ट्रस्ट इंडिया विजन फाउंडेशन के बैनर तले 'मेरी पुलिस' कार्यक्रम में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के नाम पर लूटा। आरोप के मुताबिक इस प्रशिक्षण कार्य के संचालन के लिए किरण ने माइक्रोसॉट कंपनी से ५० लाख रुपए का चंदा लिया और प्रशिक्षण स्थल के लिए जमीन एवं बिजली का प्रबंध पुलिस संगठनों से करवाया और यह हलफनामा देने के बावजूद कि वह प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगी, प्रत्येक छात्र से हजारों रुपए फीस वसूली गयी। यदि यह आरोप सही हैं तो निश्चित रूप से बेदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बेदी को जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया था और उनसे कनिष्ठ को यह जिम्मेदारी सौंप दी गयी थी, जिसके विरोध स्वरूप उन्होंने पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे दिया था तो आम जनता में उनके प्रति काफी सहानुभूति पैदा हुई थी लेकिन संभव है कि उस समय सरकार के पास बेदी के कथित 'कारनामों' की सूचना रही हो। यह सही है कि मात्र आरोप लगा दिये जाने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी यदि तथ्य और प्रमाण पुख्ता हों तो आरोपित को अपने आप को पाक साफ साबित होने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहिए।

टीम अन्ना के एक और महत्वपूर्ण सदस्य अरविंद केजरीवाल पर भी हजारे के आंदोलन के दौरान जनता से मिली सहायता राशि में गबन का आरोप उनके सहयोगी ही लगा चुके हैं जिसके चलते हजारे ने केजरीवाल और किरण पर पहले लगे अधिक किराया वसूलने के आरोपों की जांच रिटायर्ड जज से कराने की घोषणा की थी लेकिन इस घोषणा पर कितना अमल हुआ और जांच कहां तक आगे बढ़ी इस बारे में संगठन की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। खुद अन्ना भी पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में आ चुके हैं। प्रशांत भूषण और शांति भूषण का नाम भी कथित रूप से अवैध भूखंड आवंटन मामले में सामने आया था। इसके अलावा जजों को प्रभावित करने संबंधी बातचीत की एक सीडी में शांति भूषण की आवाज होने की बात दिल्ली पुलिस की ओर से मानी जा चुकी है। यही नहीं गत सप्ताह अन्ना की कोर समिति के महत्वपूर्ण सदस्य और कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े पर कर्नाटक के एक आईपीएस अधिकारी मधुकर शेट्टी ने आरोप लगाया कि पद पर रहते हुए हेगड़े भ्रष्टाचार में गहरे तक डूबे हुए थे। संभव हैं कि यह सभी आरोप शरारतपूर्ण हों लेकिन आंदोलन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इन आरोपों से पाक साफ होकर निकला जाये क्योंकि जनता ने जिस विश्वास के साथ आंदोलन को अपना समर्थन दिया था वह हालिया घटनाक्रमों के बाद सकते में है।

किरण बेदी इस बार सरकारी पक्ष अथवा कांग्रेस पर भी अपने को बदनाम करने का कोई आरोप नहीं लगा सकती क्योंकि इस बार का मामला ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत लेकर पुलिस थाने गया हो और मामला दर्ज कराया हो बल्कि अदालत ने शिकायत पर गौर करते हुए पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। किरण बेदी पर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं उससे निश्चित रूप से उनकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्हें ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा लेकिन जो भी प्रकरण सामने आये हैं उससे लोग खुद आश्चर्यचकित हैं। इससे उन आरोपों को भी बल मिलता है कि बेदी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वह हजारे के आंदोलन से जुड़ कर अपना आधार बनाना चाहती थीं। गौरतलब है कि हिसार संसदीय उपचुनाव में कांग्रेस विरोध का निर्णय बेदी और केजरीवाल के दिमाग की ही उपज बतायी जाती है।